राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर
टेलीफैक्स 0141–2222403 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)( )डीएलबी / 2025 / 2237 जयपुर, दिनांक : 07/04/2025

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सहपठित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनहित में नगरपालिका अधिनियम की धारा 69ए, 71, 73, 118, 171, 182, 194 (उपधारा 7 के खण्ड (g) एवं उपधारा 12 को छोड़कर) के अतंर्गत मण्डल की शक्तियां संबंधित निकाय के महापौर, सभापति व अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त आयुक्त / उपायुक्त / कार्यकारी अधिकारी को अग्रिम आदेशों तक प्रत्यायोजित की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.09.2021 को जारी किए गये पट्टों के प्रारूपों एवं दिनांक 19.09.2024 को प्रारूपों के संबंध में जारी किये गये आदेशों में विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों के समान ही एकरूपता रखते हुए संबंधित निकाय के आयुक्त / उपायुक्त / कार्यकारी अधिकारी के एकल हस्ताक्षरों से आगामी आदेशों तक पट्टे जारी किये जा सकेंगे।

प्रारूप में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.17(24) नविवि / नियम 2021 दिनांक 12.02.2025 के मद्देनजर डिजिटल ई–पट्टा व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)( )डीएलबी / 2025 / 2238-2901 जयपुर, दिनांक : 07/04/2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयुपर।
4. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायंत्त शासन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं, समस्त राज0।
9. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं, समस्त राज0।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग, समस्त राज0।
11. प्रोग्रामर आई. टी. सेल निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
13. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक